

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1103 / गोपनीय / 2022
दो-2-7 / 57

जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर, 2022

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री अल्लमश रहमान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सिरमौर जिला रीवा के निवेदनानुसार, उनकी सेवा-पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में Ph.D. (Law) की उपाधि अंकित करने तथा उनके नाम के समक्ष "डॉ०" शब्द जोड़ा जाकर "डॉ० अल्लमश रहमान" अंकित किये जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान करता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल
84

पृष्ठांकन क्रमांक 1104 / गोपनीय / 2022
दो-2-7 / 57

जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को उनके पृष्ठांकन क्रमांक 5081 / दो-20-01 / 2011, दिनांक 03 नवम्बर, 2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 डॉ० अल्लमश रहमान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सिरमौर जिला रीवा को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 31 / 2022, दिनांक 19-10-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 एस.जे.ए., गोपनीय शाखा / डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, गोपनीय शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को क्रमशः सेवा-अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टिप्पणी:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) / 2018/368, दिनांक 01 / 03 / 2018 के आलोक में सभी सामान्य प्रशासनिक आदेशों / परिपत्रों जैसे कि स्थानांतरण, पदस्थापना ईत्यादि की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश / परिपत्र ईत्यादि की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल
84